

**न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर**

पीठासीन अधिकारी – श्री छीतरसिंह

किस्म मुकदमा – राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
36 / 19	29 / 07 / 19	27 / 08 / 19

**निर्णय**

**राजस्थान सरकार**

**बनाम**

**श्री मुरारी पुत्र सुजान जाति गुर्जर निवासी नगला रूपराम तहसील बयाना जिला भरतपुर**


पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का हरनगर ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि **श्री मुरारी पुत्र सुजान जाति गुर्जर निवासी नगला रूपराम तहसील बयाना** ने ग्राम **नगला रूपराम की चारागाह** भूमि आराजी खसरा नम्बर **07** में कुल **2.08 हैक्टे** में से **रकबा 0.32 हैक्टेयर** भूमि पर फसल खरीफ सम्वत 2076 में अनाधिकृत रूप से **बाजरा की फसल कर** अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि अतिक्रमण पश्चातवर्ती है इसलिए अतिचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भूराजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 (3) के तहत दिनांक 20/08/19 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर, नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल उपस्थित आया। उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में गैर सायल द्वारा अपना जबाव पेश किया गया जिसमें अतिक्रमी द्वारा अपने अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य अथवा कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। गैर सायल अतिक्रमण करने का आदी है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्वत् 2076 में उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। गैर सायल को पूर्व में भी मौके से बेदखल किया गया था फिर भी गैर सायल ने पुनः अतिक्रमण कर लिया है इससे यह साबित होता है कि गैर सायल बार बार अतिक्रमण करने का आदी है। जो पश्चातवर्ती अतिचारी की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमित आराजी की किरम ~~सिवायचक गैर मुकाम सरला~~ है जो सार्वजनिक उपयोग में आता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं रहता है। बल्कि ऐसे अतिचारी के विरुद्ध प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो अन्य लोग भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करेंगे और अतिक्रमण को बढ़ावा व प्रोत्साहन मिलेगा। अतः फसल खरीफ में अतिचारी **श्री मुरारी पुत्र सुजान जाति गुर्जर निवासी नगला रूपराम तहसील बयाना** को ग्राम **नगला रूपराम की सिवायचक भूमि** खसरा नं **07** में **रकबा 0.32 हैक्टेयर** भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर **लगान राशि 2.56** रुपये का पचास गुना **राशि 128** रुपये की शास्ति आरोपित की जाकर मौके से बेदखल कर अतिक्रमित भूमि पर खड़ी फसल को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार बेदखली, नीलामी एवं वसूली हेतु संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना का पत्र सामग्री  
 रा. से. सं. 04 का पत्र नं. 17  
 दिनांक 3-9-19 का बच 19-20  
 केनल्टी सं. 128 का बच नीवाजी  
 का या पत्रो है ;  
 2-9-19  
 उहबाव बहाल

  
 तहसीलदार  
 बयाना